निविदा विवरण

तेजी से बढ़ने वाली उच्च उत्पादकता वाली व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस की नई किस्मों के पौधो का क्रय

1. राज्य बांस मिशन द्वारा वनभूमि व कृषको की भूमि में रोपण के लिये बांस की तीन प्रजातियों – बेम्बूसा बॅम्बूस, डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस व बेम्बूसा बालकुंआ की प्रदाय की दरें आमंत्रित की जाती है। दरें (फायनेन्सियल बिड्स) बंद लिफाफे में दिनांक 12.04.2017 को दोपहर 03.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बिड्स उसी दिन दोपहर 03.30 बजे खोली जावेंगी।

2. राज्य बांस मिशन ने माह अक्टूबर एंव दिसम्बर 2016 में खुली निविदाओं द्वारा बांस की 28 प्रजातियों के टिशु कल्चर विकसित करने के लिये दरें आमंत्रित की थी। प्रदेश की कुछ निजी तथा शासकीय प्रयोगशालाओं ने 24 प्रजातियों के लिये दरें प्रस्तुत की थी। इन प्रजातियों के लिये तय किये गये भिर्रो से सायन मटेरियल प्राप्त कर टिशु कल्चर के माध्यम से कल्चर विकसित कर प्रोटोकाल तैयार करने के लिए प्रदेश की जिन बायोटेक/टिशु कल्चर प्रयोगशालाओं का निर्धारण किया गया था, वे ही इस निविदा में भाग ले सकती है। जैसा कि विदित है कि इन प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की जा रही बांस की किस्मों में से प्रथम 5 हजार पौधो का मिशन द्वारा पूर्व निविदा में तय की गयी दरों पर क्रय किया जाना तय किया जा चुका है। पूर्व में जारी की गयी निविदा की शर्त क्रमांक – 7 (प्रपत्र–1) के अनुसार उपरोक्तानुसार क्रय किये गये पौधो का फील्ड ट्रायल करने के उपरांत सफल प्रजातियों के पौधो को वन विभाग तथा कृषकों को विक्रय करने हेतु बिक्री दरों का निर्धारण बांस मिशन द्वारा गठित "बांस क्रय दर निर्धारण समिति" द्वारा किया जाना है।

3. बेम्बूसा बेम्बूस (कटंग बांस), डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस (लाठी बांस) व बेम्बूसा बालकुंआ (भीमा बांस) के फील्ड ट्रायल सफल रहे है। अतः अब इन प्रजातियों के पौधे वन विभाग एंव कृषको द्वारा अधिक मात्रा में क्रय करने के लिये दरें निर्धारित की जाना है। बांस की प्रजातिवार विकसित की गयी किस्मों की दर निर्धारण के उपरांत इन किस्मों के पौधो को निर्धारित की गई दरों पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार वन विभाग तथा कृषको द्वारा क्रय किया जा सकेगा। अतः जिन संस्थानों ने उपरोक्त तीन प्रजातियों के लिए मिशन द्वारा चयनित भिर्रो से सायन मटेरियल प्राप्त कर टिशु कल्चर विधि से प्रोटोकाल विकसित कर कल्चर बनाकर रोपण योग्य पौधे तैयार कर लिये है, वे संस्थाएँ निर्धारित प्रारूप – 1 में सील बंद लिफाफे में निविदाएँ दे सकते है।

4. संलग्न प्रपत्र – 1 (पूर्व निविदा) जो इस निविदा का हिस्सा है, की शर्त क्र. 8, 9 व 10 के प्रक्रिया अनुसार क्रय किये जाने वाले पौधो की दरें तय की जायेगी।

5. निविदा में भाग लेने वाली संस्थाओ को पैरा क्रमांक (2) मे दी गयी बांस की प्रजातियों के लिए तैयार की गयी किस्मों का मातृ–श्रोत प्रपत्र – 2 के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

6. क्रय किये जाने वाले पौधे द्वितीय हार्डनिंग के बाद कम से कम एक माह खुले वातावरण में पोषित किये होने चाहिए तथा पौधो की ऊचाँई कम से कम एक फीट होना अनिवार्य है। प्रत्येक पौधे में मूल पौधे के अलावा कम से कम एक नया शूट निकला हुआ अवश्य होना चाहिए।

7. प्रत्येक पौधे के लिए जो भी कंटेनर (पाली पाट्स अथवा रूट ट्रेनर्स) उपयोग किया गया हो उसमें पर्याप्त रूप से पौधे के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री तथा पोषक तत्व हो जिससे पौधो को लगभग एक माह तक किसी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता न पड़े। पौधो की मिट्टी/वर्मी कम्पोस्ट अथवा अन्य कोई आधार मटेरियल का वजन कम से कम 200 ग्राम तक अवश्य होना चाहिए तथा पौधो के पाट्स का आकार कम से कम हों (12 से.मी. व्यास x 20 से.मी. ऊचाँई से अधिक न हो) जिससे अधिक से अधिक पौधो को बगैर क्षति पहुँचायें एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जा सकें।

8. पौधो की विक्रय दरें निम्न तीन श्रेणियों में दी जायें।

   श्रेणी I – प्राथमिक हार्डनिंग के बाद म.प्र. मे स्थित किसी भी पॉली हाउस युक्त नर्सरी तक पहुॅचाकर

   श्रेणी II – द्वितीय हार्डनिंग व सीज़न पौधे निविदाकार द्वारा तय बिक्री स्थल से प्रदाय करने पर

   श्रेणी III – द्वितीय हार्डनिंग के बाद सीज़न्ड पौधे निविदाकार द्वारा तय बिक्री साईट से प्रदेश में किसी भी स्थान तक परिवहन व्यय सहित

9. इस निविदा के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में संचालक/सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य बांस मिशन का निर्णय अंतिम होगा।

10. संचालक, म.प्र. राज्य बांस मिशन को यह निविदा, बगैर कारण बताए, निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. संचालक के निर्णय पर विवाद की स्थिति में विवाद निपटान का न्याय क्षेत्र भोपाल (Bhopal Jurisdiction) होगा।

प्रारूप – 1

वित्तीय निविदा

बायोटेक्नालॉजी लेब/अनुसंधानशाला का नाम, पता एवं मोबाईल नं.	बांस प्रजाति	दरें प्रति पौधा (रू.)		
		प्राथमिक हार्डनिंग के बाद म.प्र. मे स्थित किसी भी पॉली हाउस युक्त नर्सरी तक पहुँचाकर	द्वितीय हार्डनिंग व सीज़न पौधे निविदाकार द्वारा तय बिक्री स्थल से प्रदाय करने पर	द्वितीय हार्डनिंग के बाद सीज़न्ड पौधे निविदाकार द्वारा तय बिक्री साईट से प्रदेश में किसी भी स्थान तक परिवहन व्यय सहित
	बेम्बूसा बेम्बूस (कटंग बांस)			
	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस (लाठी बांस)			
	बेम्बूसा बालकुंआ (भीमा बांस)			